व्यक्तियों को पदोन्नति भारतीय प्रशासनिक सेवा में किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में निहित प्रावधान, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती को विनियमित करते हैं । राज्य सिविल सेवा के जिन अधिकारियों ने उप-कलक्टर के पद पर अथवा किसी अन्य समकक्ष पदों पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किया है, कम से कम आठ वर्ष की लगातार सेवा की हो, और जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन समिति की बैठक की जाती है, 54 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होते हैं ।

दन्त परिषद् के सहायक सचिव

3106. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय दंत परिषद् के वर्तमान सहायक सचिव अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंध रखते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनकी पदोन्नति सरकारी नियमों के अनुसार सचिव के पद पर नहीं की गयी ;

(ग) क्या भारतीय दंत परिषद के वर्तमान सचिव की नियुक्ति को सरकार द्वारा मान्यता दे दी गयी है ; और

(घ) क्या सरकार सचिव के पद पर अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार नियुक्त करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् में सहायक सचिव के पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति के पास केवल मैट्रिक तक अर्हता है जबकि परिषद में सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक है । इस प्रकार वह सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है ।

(ग) दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) (क) में निहित उपबंधों के अनुसार परिषद् के सचिव के पद पर नियुक्ति की शक्तियां भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के शासी निकाय को है जो कि संसद द्वारा बनाए गए दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है । भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने अपनी 8-5-1988 को हुई बैठक में इस पद के पूर्व पदाधिकारी की दो वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के बारे में कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की । ऐसा करना अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है ।

(घ) चूंकि परिषद में सचिव का पद भरा हुआ है, इसलिए इस समय इस पद पर नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

Shortfall in resources for the States

3107. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there will be a Rs. 2000 crore shortfall in resources for the States Annual plan for 1988-89 ; and